न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 32 / 2019

1. संतरा देवी पत्नी स्व. प्रभूदयाल यादव जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
2. सरोज पुत्री स्व. प्रभूदयाल यादव जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थीगण

—बनाम—

1. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. प्रभूदयाल यादव जाति अहीर निवासी शिमला तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

— रेसपोंडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.5.2019 तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी कृष्ण कुमार बनाम सरकार वगैरह,प्रार्थना पत्र बाबत
अपंजीयन वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने बाबत
मु0सं0 03 / 2019

उपस्थितिः—

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट ---- ------ अपीलांट की ओर से ।
2. श्री राजेश बागोरिया,एडवोकेट ----------रेस्पोडेंट नंबर 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ----- रेस्पोंडेंट नं02 की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 29.08.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.5.2019 तहसीलदार खेतड़ी उनवानी कृष्ण कुमार बनाम सरकार वगैरह, प्रार्थना पत्र बाबत अपंजीयन वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के विरूद्ध पेश की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि— तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 24.5.2019 को अपने आदेश में मृतक प्रभूदयाल पुत्र भूदर अहीर निवासी शिमला की राजस्व ग्राम दूधवा स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 835 रकबा 0.79 हैक्टर के

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

हिस्सा 3/8 व राजस्व ग्राम ककराय स्थित भूमि के खसरा नंबर 437, 438, 439, 442 कुल किता 4 रकबा 0.98 हैक्टर के हिस्सा 1/3 की खातेदारी कृषि भूमि का वसीयत नामांतरकरण प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र स्व प्रभुदयाल जाति अहिर निवासी शिमला के हक में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । वर्तमान में उक्त आदेशित आराजीयात पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश है। अतः माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश निष्प्रभावी होने पर नामांतकरण दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की जावे निर्णय की पालना हेतु पटवारी हल्का दूधवा नांगलिया एवं मान्दरी के नाम तहरीर जारी हो। इस प्रकार का आदेश बिना क्षेत्राधिकार के पारित करने में भारी भूल की है तथा उक्त आदेश सक्षम न्यायालय के अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश व विचाराधीन प्रकरण के होते हुये भी पारित करने में तहसीलदार महोदय का आदेश दिनांक 24.5. 2019 निरस्त होने योग्य है।

अपील में आगे अंकित किया है कि तहसीलदार के समक्ष अदालत उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.5.19 से अवगत करवा देने के बाद भी रेस्पोडेंटन नंबर 1 के हक में अपंजीकृत तथा फर्जी कूटरचित वसीयत को आधार मानकर विवादित भूमि का वसीयत नामांतरण तस्दीक करने का आदेश दिनांक 024.5.19 को पारित किया है। तहसीलदार खेतड़ी को अपंजीकृत बिल के आधार पर रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में मृतक द्वारा की गई वसीयत को मैरिट पर तैय करके आदेश पारित करने का कोई हक नहीं है,क्योंकि नामातंकरण कार्यवाही एक फिसिकल कार्यवाही कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती। नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न वसीयत या गोद के जटिल विवादक का विनिश्चय नहीं किया जा सकता । स्वामित्व की घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है जिसके लिए सक्षम अदालत में दावा घोषणात्मक करके ही तैय करवाया जा सकता है, किंतु तहसील ने बिना क्षेत्राधिकार के ही रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में नामांतरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया है वह खारिज होने योग्य है। अपीलांटस ने तहसीलदार के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत कूटरचित व झूठी है और अन्वीक्षा का मामला है और नामांतरकण के समय वसीयत पर विचार नहीं किया जा सकता, किन्तु तहसीलदार खेतड़ी ने आपति की अनदेखी कर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में हुई वसीयत को सही मानकर इनके हक में नामांन्तकरण विवादित भूमि का भरे जाने का आदेश प्रदान किया है जो आदेश निरस्त होने योग्य

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

है। विधि का यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि नामांतरकरण पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व वाद लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार का हक तय करके राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का हक तहसीलदार को नहीं है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपने अधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। तहसीलदार वसीयत एवं दत्तक संबंधी मामलों को निर्णित नहीं कर सकता। वसीयत में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत साबित करना होता है जो नियमित वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। तहसीलदार ने अपने निर्णय में अपने खिलाफ उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी के स्थगन आदेश दिनांक 02.5.19 को अपने आदेश में अपने खिलाफ बाधक नहीं मानकर अपने आपको नामांतरकरण आदेश पारित करने में मुक्त मानने में भूल की है। क्योंकि स्वयं को अपने हक में निर्णय तय करने का कोई अधिकार नहीं था जबकि उपखण्ड अधिकारी की अदालत में उपस्थित होकर विवादित विषय के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करवाना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार ने अपने आपको विवादित वसीयती नामान्तरकरण का निर्णय करने में बाधक नहीं मानने में भारी भूल की है तथा मामला कन्टेम्प आफ कोर्ट की संज्ञा में आता है। अतः अपीलांटस की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2019 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– तहसीलदार के समक्ष अदालत उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.5.19 से अवगत करवा देने के बाद भी रेस्पोडेंटन नंबर 1 के हक में अपंजीकृत तथा फर्जी कूटरचित वसीयत को आधार मानकर विवादित भूमि का वसीयत नामांतरण तस्दीक करने का आदेश दिनांक 024.5.19 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है उक्त आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश व प्रकरण के विचाराधीन रहते हुये भी आदेश दिनांक 24.5.2019 पारित किया है तहसीलदार खेतड़ी को अपंजीकृत बिल के आधार पर रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में मृतक द्वारा की गई वसीयत

49

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

को मैरिट पर तैय करके आदेश पारित करने का कोई हक नहीं है,क्योंकि नामातंकरण कार्यवाही एक फिसिकल कार्यवाही कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती। नामान्तकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न वसीयत या गोद के जटिल विवादक का विनिश्चय नहीं किया जा सकता । स्वामित्व की घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है जिसके लिए सक्षम अदालत में दावा घोषणात्मक करके ही तैय करवाया जा सकता है। किन्तु तहसीलदार ने बिना क्षेत्राधिकार के ही रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में नामांतरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया है । अपीलांटस ने तहसीलदार के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वसीयत कूटरचित व झूठी है और अन्वीक्षा का मामला है और नामांतरकण के समय वसीयत पर विचार नहीं किया जा सकता, किन्तु तहसीलदार खेतड़ी ने आपति की अनदेखी कर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर रेस्पोडेंट नंबर 1 के हक में हुई वसीयत को सही मानकर इनके हक में नामांन्तकरण विवादित भूमि का भरे जाने का आदेश प्रदान किया है। विधि का यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि नामांतरकरण पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व वाद लंबित रहने के दौरान किसी पक्षकार का हक तय करके राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का हक तहसीलदार को नहीं है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। तहसीलदार वसीयत एवं दत्तक संबंधी मामलों को निर्णित नहीं कर सकता। वसीयत में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत साबित करना होता है जो नियमित वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। तहसीलदार ने अपने निर्णय में अपने खिलाफ उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी के स्थगन आदेश दिनांक 2.5.19 को अपने आदेश में अपने खिलाफ बाधक नहीं मानकर अपने आपको नामांतरकरण आदेश पारित करने में मुक्त मानने में भूल की है। क्योंकि स्वयं को अपने हक में निर्णय तय करने का कोई अधिकार नहीं था जबकि उपखण्ड अधिकारी की अदालत में उपस्थित होकर विवादित विषय के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करवाना चाहिए था, किन्तु तहसीलदार ने अपने आपको विवादित वसीयती नामान्तरकरण का निर्णय करने में बाधक नहीं मानने में भारी भूल की है तथा मामला कन्टेम्प आफ कोर्ट की संज्ञा में आता है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.5.2019 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। विद्धान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

आर.आर.डी 2017 पेज 525, आर.आर.डी 2012 पेज 765, आर.आर.डी 20004 पेज 525, आर.आर.डी 2005 पेज 87, प्रस्तुत किये।

दौराने बहस वकील रेस्पोन्डेंटस ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर उभय पक्षकारों को सुना जाकर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय पारित कर आदेश दिनांक 24.5. 2019 दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में वसीयत के बिन्दू को लेकर पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में नियमित वाद लंबित रहते हुये और प्रकरण में स्थगन आदेश होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा हस्तगत प्रकरण को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अन्तर्गत सुना जाकर वसीयत के बिन्दू पर निणर्य पारित किया गया है। नामांन्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग है। पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों की घोषणा का नियमित वाद जब उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय से स्थगन आदेश था, प्रकरण में जहां साक्ष्यों के आधार पर अधिकारों का निर्धारण होना है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पृथक से प्रकरण दायर कर वसीयत के बिन्दु को छदम रूप से प्रार्थना पत्र का रूप देकर नियमित वाद की तरह निस्तारित किया है, जिससे उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के स्थगन आदेश के दौरान ही विधिक प्रावधानों को ताक पर रखकर तय कर आदेश पारित करना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कानूनी प्रावधानों के विपरित उक्त आदेश पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुये समरी मामलों के मूल प्रकरण तथा अपीलादि स्थगित रखनी होती हैं, क्योंकि नियमित वाद का निर्णय ही विचारण और अपीलीय न्यायालय के निर्णय पर बाध्यकारी होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा वर्तमान प्रकरण को नियमित वाद के रूप में सुनकर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

निर्णय पारित किया है जो निर्णय के कंटेंट्स से स्पष्ट हैं । तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित उक्त आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित होने से उसकी वैधानिकता शून्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.5.2019 को निरस्त किया जाता है। अपनी अधिकारिता से बाहर एवं सुस्थापित विधिक प्रावधानों के विपरीत कार्य करने से उक्त प्रकरण की प्रति पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण अधिकारी को भिजवायी जाये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू